



O/o the Principal Accountant General (A&E)

Chhattisgarh, Raipur

Baloda Bazar Road, Raipur, Chhattisgarh-492005

Telephone: 0771-2281409, E-mail- agaechhattisgarh@cag.gov.in

FAX: 0771-2282607

No./G.S./Tender /Book Printing /2025-26/000/02

Dated: 01/07/2025

To,

.....

.....

.....

Sub:- Inviting Tender for Book Printing & Binding.

Sealed tender are invited from the registered suppliers/firms who are capable of Supplying/ Printing of Books as listed in the annexure –I. The tender document shall be submitted on or before **11/07/2025 (4 PM)** to the Sr. Accounts Officer, General Section, Room No. 112, situated on the 1st floor of the Office of the Principal Accountant General (A&E), Chhattisgarh, Zero Point, Near Vidhan Sabha, Raipur either by hand or by speed post. No tender will be entertained after due date.

Terms and Conditions governing the tender are enclosed alongwith this letter. In case of unbranded items, sample of proposed quoted items should be enclosed with the offer. The tenders will be opened on **11/07/2025 at (05 PM)** in the presence of representatives of the tender bidders who wish to attend and the committee members nominated by the Principal Accountant General, Sr Accounts Officer/ GS and officials of the concerned section at Room No. 114 of this office.

Enclosure: 1. List of Printing items (Annexure-I)

2. Copy of Terms & Conditions

Yours faithfully,

Sd/-----

(Vilas U Patil)

Deputy Accountant General/Admn & Accounts

(A) हिन्दी

	विवरण	प्रतियां	अनुमानित पृष्ठ संख्या	दर (रूपये)
1	विनियोग लेखे-विशेष मैरून रंग के जिल्द (हार्ड बोर्ड) में सुनहरी उभरी हुई अहस्ताक्षरित प्रतियाँ	07	380	
2	वित्त लेखे पुस्तिका (खण्ड-I)- विशेष मैरून रंग के जिल्द (हार्ड बोर्ड) में सुनहरी उभरी हुई अहस्ताक्षरित प्रतियाँ	07	75	
3	वित्त लेखे पुस्तिका (खण्ड-II)- विशेष मैरून रंग के जिल्द (हार्ड बोर्ड) में सुनहरी उभरी हुई अहस्ताक्षरित प्रतियाँ	07	650	
4	विनियोग लेखे पुस्तिका- साधारण जिल्द में	235	380	
5	वित्त लेखे पुस्तिका (खण्ड-I)- साधारण जिल्द में	235	75	
6	वित्त लेखे पुस्तिका (खण्ड-II)- साधारण जिल्द में	235	650	
7	“लेखे एक दृष्टि में” (रंगीन)	215	50	

(B) अंग्रेजी

	विवरण	प्रतियां	अनुमानित पृष्ठ संख्या	दर (रूपये)
1	विनियोग लेखे-विशेष मैरून रंग के जिल्द (हार्ड बोर्ड) में सुनहरी उभरी हुई अहस्ताक्षरित प्रतियाँ	07	420	
2	वित्त लेखे पुस्तिका (खण्ड-I)- विशेष मैरून रंग के जिल्द (हार्ड बोर्ड) में सुनहरी उभरी हुई अहस्ताक्षरित प्रतियाँ	07	100	
3	वित्त लेखे पुस्तिका (खण्ड-II)- विशेष मैरून रंग के जिल्द (हार्ड बोर्ड) में सुनहरी उभरी हुई अहस्ताक्षरित प्रतियाँ	07	840	
4	विनियोग लेखे पुस्तिका- साधारण जिल्द में	125	420	
5	वित्त लेखे पुस्तिका (खण्ड-I)- साधारण जिल्द में	125	100	
6	वित्त लेखे पुस्तिका (खण्ड-II)- साधारण जिल्द में	125	840	
7	“लेखे एक दृष्टि में” (रंगीन)	110	50	

(C) मुद्रित सी.डी.

	विवरण	प्रतियां	दर (रूपये)
1	सी.डी. का मुद्रण (विशेष मुद्रित लिफाफा एवं प्रिंटेड स्टीकर के साथ)	150	

छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2024-25 के वित्त एवं विनियोग लेखे के हिन्दी एवं अंग्रेजी में मुद्रण एवं जिल्द बंदी हेतु
विस्तृत दिशा निदेश :-

छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2024-2025 के वित्त एवं विनियोग लेखे के हिन्दी एवं अंग्रेजी में मुद्रण एवं जिल्द बंदी हेतु विस्तृत दिशा निदेश :-

- (1) "वित्त एवं विनियोग लेखे" के प्रत्येक की हिन्दी में 235 प्रतियाँ तथा अंग्रेजी में 125 प्रतियाँ का मुद्रण अच्छे किसम के सफेद (मैप लिथो) 75 GSM पर किया जाना है।
- (2) "वित्त लेखे" की पुस्तिकाओं को हिन्दी एवं अंग्रेजी में दो खण्डों में मुद्रित किया जाना है।
- (3) अ) प्रत्येक लेखा पुस्तकों की हिन्दी में 235 प्रतियाँ एवं अंग्रेजी में 125 प्रतियाँ जिसके कवर पृष्ठ वांछित मल्टी कलर 300 GSM में मुद्रित की जानी है।
ब) प्रत्येक लेखा पुस्तकों की अंग्रेजी में 07-07 एवं हिन्दी में 07-07 प्रतियों के कवर पृष्ठ हार्ड बोर्ड के ऊपर विशेष मैरुन रंग के जिल्द में सुनहरी उभरे हुए अक्षरों में मुद्रित की जानी है। यह प्रतियाँ अहस्ताक्षरित रहेंगी।
- (4) मुद्रण हेतु सामग्री प्रदाय करने के पश्चात 04 दिनों के अन्दर उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (3) ब में वर्णित प्रतियाँ अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी।
- (5) वर्ष 2024-25 की मुद्रित पुस्तकों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में क्रमानुसार छत्तीसगढ़ शासन, "वित्त लेखे" 2024-25 तथा "विनियोग लेखे" 2024-25 साईड में मुद्रित किया जाना है।
- (6) "लेखे एक दृष्टि में" वर्ष 2024-25 के प्रत्येक की हिन्दी में 215 प्रतियाँ एवं अंग्रेजी में 110 प्रतियाँ का मुद्रण ग्लेज्ड आई पेपर (90 जीएसएम) पर किया जाना है तथा दर्शाए अनुसार चार्टस एवं ग्राफस रंगीन मुद्रित होंगे। "लेखे एक दृष्टि में" वर्ष 2024-25 के मुद्रण हेतु सामग्री साथ ही नमूना 2023-24 की "लेखे एक दृष्टि में" की एक प्रति उपलब्ध कराई जाएगी।
- (7) मुद्रण हेतु सामग्री यथा विवरण पत्रक, "वित्त एवं विनियोग लेखे" एवं "लेखे एक दृष्टि में" का प्रारूप की अंग्रेजी तथा हिन्दी में अंकित सी.डी. एवं नमूना प्रतियाँ यथा समय उपलब्ध कराई जावेगी।
- (8) मुद्रण के दौरान एवं पश्चात पूर्ण गोपनीयता बरती जाये एवं मुद्रण सामग्री को तीन माह तक समाप्त नहीं किया जावेगा।
- (9) मुद्रित सामग्री जीरो प्वाइंट स्थित कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) में अपने व्यय पर पहुँचाना होगा।
- (10) निर्धारित मापदण्डों के अनुसार मुद्रित न होने पर मुद्रित सामग्री वापस कर दी जावेगी, जिसका लागत का वहन मुद्रक का होगा।
- (11) मुद्रण कार्य रायपुर शहर के बाहर नहीं किया जा सकेगा। मुद्रण कार्य की प्रगति की जाँच समय-समय पर इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा की जावेगी।
- (12) मुद्रक द्वारा निविदा (Tender) में दी गई जानकारी मिथ्या पाई जाने पर इस कार्यालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
- (13) सफल निविदाकर्ता को सुरक्षा निधि 10,000/- (रु. दस हजार) की बैंक गारंटी/एफडीआर जो Pay & Accounts Officer, O/o the P.A.G.C.G. Raipur, के पक्ष में देय होगा। जिसे कार्य सम्पन्न होने पर बिना ब्याज के वापस कर दिया जावेगा।
- (14) संबंधित मुद्रक को शासकीय लेखों/किताबों के मुद्रण का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव होने पर प्राथमिकता दी जावेगी।
- (15) किसी भी विवाद की स्थिति में प्रधान महालेखाकार महोदय का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा तथा दोनों पक्षों के लिए बंधनकारी होगा।

Sd/-----

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/सामान्य अनुभाग